रोज़ा तोड़ने के वैध कारण

[*हिन्दी*]

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

[اللغة الهندية]

लेख

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاءالرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 - 2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एंव शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

रोज़ा तोड़ने के वैध कारणों के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा हैं, आशा है कि यह फत्वा रोज़ा तोड़ने को वैध करार देने वाले समस्त कारणों की जानकारी प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होगा। (अ.र.)

प्रश्न : रोज़ा तेड़ने के लिए वैध कारण क्या हैं? (वह कौन से कारण हैं जो रोज़ा तोड़ना अर्थात रोज़ा न रखना वैध कर देते है?)

उत्तर : रोज़ा न रखने को वैध कर देने वाले कारणः बीमारी और यात्रा हैं जैसा कि क़ुर्आन में इसका उल्लेख हुआ है, तथा एक कारण यह भी है कि गर्भवती स्त्री को अपने प्राण अथवा अपने गर्भाशय पर (हानि का) भय हो, इसी प्रकार एक कारण यह भी है कि दूध पिलाने वाली स्त्री को यदि वह रोज़ा रखती है तो उसे अपने प्राण पर अथवा दूध पीते बच्चे पर (हानि का) भय हो, तथा एक कारण यह भी है कि मनुष्य को किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, उदाहरण के तौर पर समुद्र में किसी डूबते हुए व्यक्ति को देखे, या किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर पाए जहाँ वह चारों ओर से आग में घिरा हुआ हो, तो उसको मुक्त कराने के लिए उसे रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए जायज़ है कि रोज़ा तोड़ दे और उसकी जान बचाए, और रोज़ा तोड़ने को वैध क़रार देने वाले कारणों में से यह भी है कि मनुष्य को अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए रोज़ा तोड़ने की आवश्यकता हो, चुनांचे यह भी रोज़ा न रखने को जायज़ करार देने वाले कारणों में से है, क्योंकि फत्हे मक्का के अवसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों से फरमाया थाः

((إنكم لاقوا العدو غدا، والفطر أقوى لكم فأفطروا))

''कल तुम शत्रुओं का सामना करने वाले हो, और रोज़ा न रखना तुम्हारे लिए अधिक शक्तिप्रद है, अतः तुम रोज़ा तोड़ दो।'' (मुस्लिम हदीस न॰ ११२०)

जब रोज़ा तोड़ देने का वैध कारण पाया जाए और मनुष्य उसके कारण रोज़ा तोड़ दे तो उस पर उस अवशेष दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है,

मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी मासूम को मरने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ दिया तो उसे बचाने के पश्चात भी वह रोज़ा तोड़ने ही की अवस्था में बाक़ी रहेगा, क्योंकि उसने एक ऐसे कारण से रोज़ा तोड़ा है जो उसके लिए रोज़ा तोड़ना वैध कर देता है इसलिए उस समय उस पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस दिन की हुर्मत रोज़ा तोड़ने को वैध कर देने वाले कारण से समाप्त हो गया, अतः हम कहते हैं कि इस मसूअले में श्रेष्ठ कथन यह है कि:

यदि बीमार दिन के मध्य स्वस्थ होजाए और उसने रोज़ तोड़ रखा था तो अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि यात्री दिन के मध्य अपने देश लौट कर आए और वह रोज़े से नहीं था तो अब उस पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य नहीं है, और यदि स्त्री दिन के मध्य पवित्र हो जाए तो अवशेष दिन खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि इन सब लोगों ने रोज़ा तोड़ देने को वैध कर देने वाले कारण से रोज़ा तोड़ा है, इसलिए वह दिन उनके हक़ मे रोज़े की हुर्मत नहीं रखता है क्योंकि शरीअत ने उस दिन उनके लिए रोज़ा तोड़ देना वैध कर दिया है, सो उन पर खाने पीने से रूके रहना अनिवार्य नहीं है।

इसके विपरीत यदि दिन के मध्य रमज़ान के महीने का प्रवेश करना (आरम्भ होना) सिद्ध हो जाए तो ऐसी अवस्था में खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य हो जाता है, दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है; क्योंकि यदि दिन के मध्य (रमज़ान का चाँद देखने की) गवाही सिद्ध हो जाती है तो यह सिद्ध होगया कि उस दिन उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, किन्तु गवाही के सिद्ध होने से पूर्व वह अज्ञानता (जहालत) के कारण छमा योग्य थे।

इसी कारण यदि वह लोग जानते होते कि आज का दिन रमज़ान का दिन है तो उन पर खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य होता, किन्तु वह दूसरे लोग जिनकी ओर हम संकेत कर चुके हैं उनके लिए रोज़ा तोड़ना उनके ज्ञान के होते हुए वैध क़रार दिया गया है, इस प्रकार दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट है।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**)***

***atazia75@gmail.com**